फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

गोपी बनाम मुकेश वगैरह

वाद

मुकदमा नम्बर :– 188/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	18/8/25	प.का. उप. अधिवक्ता उपस्थित प्रकरण की वीडियो ही बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर उप रजिस्ट्रार के कार्यालय तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं, जयपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–188/2024

उनवान

गोपी पुत्र भैरु, जाति जीणा, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. मुकेश शर्मा पुत्र स्वरुप नारायण शर्मा, निवासी 186, सिंधी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपर।
2. कैलाश चंद शर्मा (बागड़ा) पुत्र लल्लूराम शर्मा, जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी मंदिर के पास, गांव दौलतपुरा बैनाड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
4. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूं जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण–

5. किशन लाल पुत्र नाथू
6. चक्की पत्नी शैतान
7. बिदामी देवी पत्नी नानूराम
8. भगवती प्रसाद पुत्र नाथू
9. भोमराज पुत्र नाथू
10. मंजू पुत्री नानूराम
11. महेश पुत्र नानूराम
12. रेखा पुत्री शैतान
13. राजू पुत्र शैतान
14. रामसिंह पुत्र शैतान
15. राहुल पुत्र शैतान
16. रोशन पुत्र नानूराम
17. श्रवण पुत्र नानूराम
18. सजना पुत्री भैरू
19. समुद्र पुत्र शैतान
20. सुरेन्द्र पुत्र शैतान
21. सीमा पुत्री शैतान

समस्त जाति मीणा, निवासीयान ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं जिला जयपुर

–प्रपत्र प्रतिवादी–

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–18.08.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम भोपावास, पटवार हल्का हाथनोदा, भू.अ.नि. क्षेत्र नांगल भरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मे वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण सं. 5 ता 21 की कब्जेकाश्त व स्वामित्व की भूमि हाल खाता सं. 136 में वर्णित खसरा नम्बर 1538/1335 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नं. 715/1 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नं. 715/3 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नं. 715/5 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 1.9400 हैक्टेयर स्थित है जिसको खातेदारो ने आपसी मनबट के आधार पर बांट रखा है तथा उसी अनुसार कब्जाकाश्त कर रहे हैं तथा मनबट के आधार पर वादी अपने हिस्से अनुसार खसरा नं. 715/5 पर काबिज काश्त है तथा खसरा नं. 715/5 के उत्तरी दिशा में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 जो कि विधि विरूद्ध रूप से बिना भू रूपान्तरण करवाये कॉलोनी विकसित कर अवैध निर्माण कर रहा है जिस अवैध निर्माण के तहत वादी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 715/5 पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। जिस कारण उपरोक्त वाद पत्र में आराजी खसरा नं. 715/5 विवादग्रस्त है जिसे कि उपरोक्त वाद पत्र के अग्रिम मदो मे विवादग्रस्त सम्पति के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित विवादग्रस्त आराजियात की खातेदारी वर्तमान में वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण सं. 5 ता 21 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार वादी वाद पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार है जिसे विवादित भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2, वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित विवादित भूमि की उत्तरी सीमा पर करीब 15 मीटर वादी की सीमा में प्रवेश कर जबरिया अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा करना चाहता है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 वादी के हिस्से की खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से अतिचार करते हुए पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है जिसके लिए वादी ने मौके पर निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य करने पर वादी द्वारा विरोध किये जाने तथा बिना सीमाज्ञान करवाये किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य करने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 उग्र हो गया तथा वादी को एलानिया धमकी दी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता मैं उक्त विवादित भूमि मे निर्माण करके रहूंगा। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है कि वह वादी की खातेदारी व मनबट के आधार पर उसके हिस्से में आई भूमि पर बिना सीमाज्ञान हुए अवैध रूप से प्रवेश कर अतिक्रमण करे व निर्माण सामग्री डाले तथा अवैध रूप से निर्माण कार्य कर कब्जा करे। वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को दिनांक 25.10.2024 को अवैध निर्माण नही करने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 उग्र हो गये तथा वादी से लडाई झगडा प्रारम्भ कर वादी को एलानिया धमकी देने लगा कि वह विवादित भूमि मे वादी के मनबट अनुसार आई हिस्से व खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण करेगा तथा इस बाबत आवश्यकता हुई तो वह प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 से साजकर अवैध पुख्ता निर्माण को लगातार जारी रखेगा एवं वादी ने उनके अवैध निर्माण में किसी भी प्रकार की आपत्ति व उज्ज किया तो इसका परिणाम अच्छा नही होगा। वादी के अनेक बार निवेदन करने पर भी

सहायक जज/न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा अपने अवैध निर्माण को नहीं रोका गया तथा वादी से लडाई झगडा कर वादी को डरा धमकाकर भगा दिया गया जिस पर वादी द्वार तत्काल ही प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 से सम्पर्क कर विवादित भूमि के विशिष्ट भू भाग पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को रोकने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 द्वारा वादी को कोई संतुष्टीजनक जवाब नही दिया गया जिस संबंध में उक्त प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 व अन्य के विरूद्ध एक रिपोर्ट भी दिनांक 25. 10.2024 को पुलिस थाना सामोद में दर्ज करायी गई परंतु वादी को यह पूर्ण अंदेशा है कि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2, प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 से साजकर विवादित भूमि के उत्तरी दिशा के हिस्से पर अवैध रूप से निर्माण कर उसे खुर्द बूर्द कर देगा जिसे वादी रोक पाने में असमर्थ है, वादी द्वारा उक्त विवादित भूमि बाबत सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष सीमाज्ञान बाबत आज ही आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया गया है, जिस कारण वादी को उक्त वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबंध किया जावे कि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित विवादित भूमि खसरा नं. 715/5 के उत्तरी सीमा पर बिना सीमाज्ञान किसी भी प्रकार का कोई कच्चा अथवा पक्का निर्माण किसी भी प्रयोजनार्थ नहीं करे, ना ही भूखण्डो में विभक्त करे, ना ही खड्डे खोदे, ना ही विवादित भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में बाधा कारित करे तथा प्रतिवादी सं. 4 प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा विवादित भूमि पर किये जा रहे अवैध निर्माण को रोके एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की अवैध निर्माण किये जाने में किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं करे, उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 ना तो स्वयं करे, ना ही अपने किसी एजेंट, सर्वेन्ट, वर्कमेन इत्यादि के जरिये करे या करावें। अर्थात प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 विवादित भूमि की मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 ता 21 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजीयात भूमि जिस पर वादी काबिज काश्त है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रदान किया जाता है तो इसमें मिन जवाबदातागण को कोई आपत्ति व उज्र नहीं है।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादीगण का वाद स्थाई निषाधाज्ञा का है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थायी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि वाके ग्राम भोपावास, पटवार हल्का हाथनोदा, भू.अ.नि. क्षेत्र नांगल भरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर मे वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण सं. 5 ता 21 की कब्जेकाश्त व स्वामित्व की भूमि हाल खाता सं. 136 में वर्णित खसरा नम्बर 1538/1335 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नं. 715/1 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नं. 715/3 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नं. 715/5 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 1.9400 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय)चौमूं

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमू, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–188/2024

उनवान

गोपी पुत्र भैरु, जाति जीणा, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. मुकेश शर्मा पुत्र स्वरुप नारायण शर्मा, निवासी 186, सिंधी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपर।
2. कैलाश चंद शर्मा (बागड़ा) पुत्र लल्लूराम शर्मा, जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी मंदिर के पास, गांव दौलतपुरा बैनाड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
4. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूं जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण–

5. किशन लाल पुत्र नाथू
6. चक्की पत्नी शैतान
7. बिदामी देवी पत्नी नानूराम
8. भगवती प्रसाद पुत्र नाथू
9. भोमराज पुत्र नाथू
10. मंजू पुत्री नानूराम
11. महेश पुत्र नानूराम
12. रेखा पुत्री शैतान
13. राजू पुत्र शैतान
14. रामसिंह पुत्र शैतान
15. राहुल पुत्र शैतान
16. रोशन पुत्र नानूराम
17. श्रवण पुत्र नानूराम
18. सजना पुत्री भैरू
19. समुद्र पुत्र शैतान
20. सुरेन्द्र पुत्र शैतान
21. सीमा पुत्री शैतान

समस्त जाति मीणा, निवासीयान ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं जिला जयपुर

–प्रपत्र प्रतिवादी–

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–188 / 2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्द किया जावें।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 18.08.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
ओ चौमूं, जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner